डाक/ईमेल/अपलोड

राजस्थान सरकार
खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग

क्रमांकःएफ 17(26)खा.वि./न्याय/72–III जयपुर, दिनांक : 3-4-2020

आदेश

कोविड़ 19 लॉकडाउन अवधि के दौरान जरूरतमंद नागरिकों तक राशन सामग्री (Dry Ration) तथा पका हुआ भोजन (Food Packet) उपलब्ध करवाने बावत ।

राज्य सरकार द्वारा कोरोना को कारण उत्पन्न विषम स्थिति में निराश्रितों/असहाय अति जरूरतमंद परिवारों के लिए राशन सामग्री (Dry Ration) तथा पका हुआ भोजन (Cooked Food) के पैकेट के वितरण की व्यवस्था हेतु निम्न पत्रों के माध्यम से निर्देश जारी किये गए हैः–

1.स्वायत्त शासन विभाग का पत्र क्रमांक.पी.एस./टीएलवी/2020/48, दिनांक 23.03.2020

2.खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग का पत्र क्रमांक एफ 17(28) खा.वि./न्याय/72–III , दिनांक 23.03.2020।

1. उपरोक्त निर्देशों की अनुपालना में जिला स्तर पर कार्यवाही की जा रही है, किंतु कतिपय स्थानों से यह सूचना प्राप्त हो रही है कि वास्तविक जरूरतमंद तक राजकीय सहायता नहीं पहुँच पाती है और अपात्र परिवारों को सामग्री का वितरण हो रहा है। साथ ही यह भी देखने में आया है कि कई संस्थाए सहायता हेतु आगे आई है किंतु उनके संसाधनों का समुचित उपयोग नहीं हो पा रहा है। यहाँ यह उल्लेख करना भी समीचीन होगा कि जिला प्रशासन द्वारा उक्त सहायता अभी कई दिनों तक जारी रखा जाना संभावित है। ऐसी स्थिति में जिलास्तर पर निम्न कार्यवाही अपेक्षित हैः–
   - जरुरतमंद परिवारों का चिन्हीकरण।
   - जिला प्रशासन द्वारा बेरोजगार हुए स्ट्रीटवेंडर, श्रमिक तथा अन्य दिहाड़ी पर कार्य करने वाले व्यक्ति एवं भिक्षावृति में संलिप्त परिवार और इसी प्रकार के सभी असहाय परिवारों को चिन्हीकरण करना जो सरकार की NFSA राशन/नरेगा जैसी योजनाओं से लाभान्वित नहीं है(आशा है उक्त कार्य पूर्ण कर लिया होगा)।
   - ऐसे सभी परिवारों के लोकेशन ध्यान में रखते हुए सहायता हेतु शहरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को विभिन्न जोनो में विभक्त किया जाए।
2. जिले में निम्न प्रकार की संस्थाओं का चिन्हीकरण कर उनके साथ आपस में समन्वय करते हुए जोनवार दल तैयार किये जाए–
   - संस्थाए जो राशन सामग्री (Dry Ration) देने में इच्छुक है।
   - संस्थाए जो पका हुआ भोजन (Cooked Food) वितरण करने में इच्छुक है।
   - संस्थाए जिनके पास होटल/ढाबा इत्यादि पर पका हुआ भोजन (Food Packet) बनाने की क्षमता है।
   - संस्थाए जो आर्थिक रूप से उक्त कार्य में सहयोग दे सके।
   - ➢ उक्त संस्थाओं का जोन वार सामंजस्य करते हुए सुखा राशन (Food Packet) एवं पका हुआ भोजन (Cooked Food) असहाय की संख्या के अनुरुप बनाने की व्यवस्था करावें।
   - ➢ चूंकि उक्त व्यवस्था का 20 से 30 दिन तक जारी रखना आवश्यक होगा, अतः संस्थाओं को रोटेशन के अनुसार काम में लिया जाए ।

Scanned with CamScanner

3.वितरण हेतु दलों की ड्यूटीः–

- इस कार्य में संलिप्त संस्थाओं एवं सरकारी कार्मिकों के संयुक्त दल जोनवार बनाये जाएं।
- वितरण हेतु दल के सदस्यों तथा वाहन हेतु पास उपलब्ध कराये जाएं।
- वितरण दल सर्वे किये गए जोन के असहाय परिवारों की सूची वितरण के समय साथ रखेगा तथा दिनांक व समय अंकित करते हुए यह सुनिश्चित करेगा कि उक्त सूची में कोई भी परिवार सहायता से वंचित नहीं रह जाए।
- वितरण दल तत्कालिक व्यवस्था के रूप में पका हुआ भोजन (Food Packet) देवें तथा जो परिवार स्वयं अपना खाना पका सकते हैं उन्हें 10 दिन हेतु सूखा राशन भी उपलब्ध कराएगा।
- उक्त परिवारों के रुपये 2500(1000+1500) की एक्सग्रेसिया सहायता हेतु पात्रता होने पर यह भी सुनिश्चित करेगा कि उन्हें यह भी सहायता प्राप्त हो।
- इस प्रकार जो परिवार 2500(1000+1500) रु की सहायता अथवा राशन सामग्री (Dry Ration) से लाभांवित किये जाते है उन्हें प्रतिदिन पका हुआ भोजन (Food Packet) दिये जाने की आवश्यकता नहीं है। इस प्रकार पका हुआ भोजन (Food Packet) की व्यवस्था को आवश्यकतानुसार ही प्रयोग में लावें।

4. संस्थाओं द्वारा दिये जा रहे राशनसामग्री (Dry Ration) के अतिरिक्त प्रत्येक तहसील/पंचायतस्तर तक सुखे राशन की व्यवस्था संदर्भित आदेश के अनुसार हमेशा रखी जाएगी जिससे कोई भी जरुरतमंद व्यक्ति/परिवार किसी अन्य व्यवस्था का प्रबंध नहीं होने पर भी खाद्य सामग्री प्राप्त कर सके। इसके लिए संबंधित पटवारी/ग्राम सेवक/बीएलओ जिम्मेदार होंगे।
5. उपरोक्तानुसार असहाय/निराश्रित/जरूरतमंद परिवारों के अतिरिक्त NFSA लाभान्वितों हेतु व्यवस्था खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विगाग के आदेश क्रमांक एफ 17 ( )खा.वि./कोरोना वायरस/2020 दिनांक 28.03.2020 के अनुसार सुनिश्चित की जाए।
6. उक्त समस्त व्यवस्था का विस्तृत विवरण प्रतिदिन जिलास्तरीय वार रूम में संकलित कर इसकी नियमित समीक्षा की जाए, तथा जरूरतमंद परिवारों को लिए उक्त व्यवस्था का समुचित प्रचार–प्रसार किया जाए ।

सिद्धार्थ 3/4/2020

(सिद्धार्थ महाजन)
शासन सचिव

क्रमांकःएफ 17(26)खा.वि./न्याय/72–III   जयपुर, दिनांक :

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

01. विशिष्ट सहायक, माननीय खाद्यमंत्री महोदय, राजस्थान सरकार, जयपुर।
02. निजी सचिव, शासन सचिव(खाद्य), राजस्थान, जयपुर।
03. निजी सचिव, अतिरिक्त खाद्य आयुक्त, राजस्थान, जयपुर।
04. समस्त जिला कलक्टर्स, राजस्थान।
05. समस्त जिला रसद अधिकारी, राजस्थान ।
06. रक्षा पत्रिका।

3/4/20

उपायुक्त एवं उप शासन सचिव

Scanned with CamScanner